रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2012/अग्रहायण 27, 1934
No. 641] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934

Incredible

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 902(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उप-धारा (2) के खंड (62) के साथ पठित धारा 62 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से पौधा किस्म और कृषक अधिकार नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

1. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के अध्याय 8 में नियम, 74 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"74.क लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप—लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय स्वायत निकायों के लिए यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप होगा ।"

[फा. सं. 1-13/2012-एस. डी.-V]
डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 738(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 843(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2004, सा.का.नि. 731(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2008, सा.का.नि. 319(अ) तारीख 11 मई, 2009, सा.का.नि. 783(अ) तारीख 27 अक्तूबर, 2009, सा.का.नि. 901 (अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2009 और सा.का.नि. 949(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2012

G.S.R. 902(E).—In exercise of the powers conferred by clause (lxii) of sub- section (2) of Section 96 read with sub-section (1) of Section 62 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001) the Central Government hereby in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India makes the following Rules to further amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely :—

1. Short Title and Commencement:— (1) These Rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In Chapter VIII of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, after Rule 74, the following rule shall be inserted namely:—

"74A.- Form for preparing annual statement of accounts—The form for preparing annual statement of accounts shall be as specified by the Comptorller and Auditor-General of India for Central autonomous bodies".

[F. No. 1-13/2012-SD-V]

Dr. ATANU PURKAYASTHA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) by G.S.R. 738(E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended by G.S.R. 843(E), dated the 30th December, 2004, G.S.R. 731 (E), dated the 14th October, 2008, G.S.R. 319 (E), dated the 11th May, 2009, G. S.R. 783 (E), dated the 27th October, 2009, G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2009 and G. S.R. 949 (E), dated the 3rd December, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.